

विहार सरकार,
वित्त-राष्ट्रीय बचत-विभाग ।

Handwritten signature/initials

कार्यालय आदेश ।

कार्यालय आदेश संख्या-अभि0-19-05/2002/खि 162 /वि0, पटना, दिनांक 30 जनवरी, 2003

वित्त-राष्ट्रीय बचत संगठन-भारत सरकार के पुर्नगठन के कलस्वरूप दिनांक 1-2-2003

के राज्य के क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संगठन-भारत सरकार एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं रहेंगे। अतः ऐसे महिला प्रधान अभिकर्ता जिनका अभिकरण प्राधिकार का नवीकरण तिथि दिनांक 1-2-2003 या उसके बाद की तिथि से देय होता है, और उसका नवीकरण नहीं हो सका है, उसकी नियुक्ति विशेष परिस्थिति में प्राधिकार-पत्र के देय नवीकरण की तिथि से होगी तथा अभिकरण प्राधिकार-पत्र निर्गत होंगे। महिला प्रधान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए राज्य के जिला समाहर्ता प्राधिकृत है ।

ऐसे महिला प्रधान अभिकर्ताओं को नया अभिकरण प्राधिकार-पत्र निर्गत करते समय पूर्व का अभिकरण प्राधिकार-पत्र कार्यालय में रख लिया जायगा। पूर्व के प्राधिकार-पत्र के अनुरूप संबंधित डाकघर से संवद रखा जायगा ।

ऐसे नियुक्त महिला प्रधान के अभिकरण प्राधिकार-पत्र को पूर्व के प्राधिकार-पत्र के अवधि समाप्ति की तिथि से प्रभावी होगा ।

पूर्व के अभिकरण प्राधिकार-पत्र के आतोक में पूर्व से संबंधित निदेशकों द्वारा राशि पूर्ववत संबंधित महिला प्रधान अभिकर्ताओं द्वारा संबंधित डाकघरों में जमा करायी जायगी तथा उस पर देय कमीशन भुगतान होगा ।

Handwritten signature
नवीन वर्मा
सरकार के सचिव ।

नरेश/30-1-2003.

आयक्ति 119 /वि0, पटना, दिनांक 30 जनवरी, 2003.

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, वित्त मंत्रालय-आर्थिक कार्य विभाग-भारत सरकार, नई दिल्ली/आयुक्त, राष्ट्रीय बचत संगठन-भारत सरकार-सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र/डाक महाध्यक्ष, विहार परिषद, मेखरूत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

Handwritten signature
नवीन वर्मा
सरकार के सचिव ।

नरेश/30-1-2003.

आयक्ति- 119 /वि0, पटना, दिनांक 30 जनवरी, 2003.

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संगठन, ब्रह्म मार्ग, पटना की सेवा